राजस्व अपील संख्या : 25/2022
उनवान : नरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 25/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2022/6

अपीलाण्ट्स :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अनारसिंह, जाति रावणा राजपूत निवासी फालना तहसील बाली जिला पाली राज.		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी बाली, जिला पाली राज. 2. नगर पालिका खुडाला फालना, फालना स्टेशन जरिये आयुक्त नगर पालिका खुडाला फालना

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 879 दिनांक 25.12.2019 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया व दिनांक 06.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित किया गया को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता गणपतलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता विरमदेव सिंह सोनीगरा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 28.01.2026

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 879 दिनांक 25.12.2019 जो तहसीलदार बाली द्वारा स्वीकृत किया गया व दिनांक 06.01.2020 को अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पारित किया गया को निरस्त करवाने हेतु पेश की गई**। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा जादरी पटवार मण्डल बेडल भू–अभिलेख निरीक्षक खुडाला, तहसील बाली में खसरा नम्बर 287/425 पुराने जिसके नये खसरा नम्बर 253/1 बने है जो रकबा वर्तमान में 0.2600 हैक्टेयर है व किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई स्थित है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि नरेन्द्रसिंह पुत्र अनारसिंह, निवासी जादरी की जमाबंदी में नाम दर्ज शुदा भूमि रही है एवं उपयोग उपभोग, कब्जा व मालिकाना हक हकूक एवं अधिकार की रही है जो कि अपीलाण्ट को बकायदा राज्य सरकार से माननीय राज्यपाल महोदय की ओर से जिला कलेक्टर महोदय पाली द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड लीज डीड करवाकर दी गई है जो कि 1977 में उक्त रजिस्टर्ड लीज डीड अपीलाण्ट के पक्ष में की गई तब से लगाकर आज दिनांक तक उपरोक्तानुसार अपीलाण्ट का ही एकमात्र कब्जा उपयोग–उपभोग मालिकाना रहा है एवं किसी भी तरह से भौतिक रुप से कभी भी बेदखल अपीलाण्ट को उक्त भूमि मे से नही किया गया है इस तरह अपीलाण्ट उक्त भूमि का एकमात्र तन्हा मालिक रहा है। दिनांक 05.10.1995 को प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा पाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2022

उनवान : नरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

ने एक पत्र के द्वारा अपीलाण्ट को सूचित किया जाता है कि वह उक्त निष्पादित लीज डीड की शरायतो का पालना नही करने एवं अवधि गुजर जाने से उक्त निष्पादित शुदा लीज डीड के अनुसार उक्त भूमि का अधिकार खो चुका है तथा लीज डीड खारिज क्यो नही की जावे इस सम्बन्ध में जवाब देने हेतु जीलाधीश कार्यालय के समक्ष तारीख पेशी पर बुलाया जाता है जिस पर अपीलाण्ट हाजिर आकर अपना पक्ष रखता है कि, राजस्व शाखा को ऐसा नोटिस देने का कोई विधिक अधिकार नही था तथा राज्य सरकार द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में लीज निष्पादित कर रजिस्टर्ड की गई है तथा उक्त लीज 10 वर्षों के बाद भी और अगले 10 वर्षों के लिये इन्हीं शर्तों पर रिन्यु की जा सकती है। इसी के चलते अपीलाण्ट द्वारा लगातार किराया जमा करवाया जाता रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा भी उक्त किराया स्वीकार करते हुए अपीलाण्ट को रसीदे भी दी हुई है। इसलिए स्वतः ही उक्त लीज डीड आगामी वर्षों के लिए स्वीकृत मानी जायेगी तथा मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा है एवं किसी भी शर्तों क उल्लंघन नहीं किया है, बाबत कथन अपीलाण्ट द्वारा किया जाता है जिस पर बाद सुनवाई के अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर पाली द्वारा वर्ष 1995 मे लीज अवधि समाप्त हो जाने पर आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाना मानते हुए भूमि सिवायचक दर्ज करने तहसीलदार बाली को आदेश दिया जाता है। उक्त पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष उक्त पारित आदेश की अपील पेश की जाती है जिस पर जिला कलेक्टर पाली के आदेश को यथावत रखा जाता है, जिस आदेश के विरुद्ध अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की जाती है जिसमें आदेश दिनांक 27.02.2003 के द्वारा अपीलाण्ट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को पुनः सुनवाई कर उचित आदेश के निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है जिस पर जिला कलेक्टर पाली द्वारा आदेश दिनांक 30.09.2003 को पारित करते हुए उक्त भूमि सिवायचक करने के आदेश पारित कर दिये जाते है जिस पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा एक अपील न्यायालय कमिश्नर जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। जिस पर दिनांक 11.04.2022 को आदेश पारित कर जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2003 को अपास्त किया जाता है तथा अपील आंशिक स्वीकार की जाकर मौके की वस्तुस्थिति की जांच कर अपीलाण्ट को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को प्रति प्रेषित किया जाता है जिसमें उक्त अपीलाधीन पारित नामान्तरकरण जो कि जिला कलेक्टर के आदेश से पारित किया गया था, स्वतः ही अपास्त हो जाता है। इसी बीच जिला कलेक्टर महोदय पाली द्वारा पारित आदेश की पालना में उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन जो कि अपीलाण्ट के नाम से था जिसकी प्रविष्टि प्रवर्तित कर नगर पालिका खुडाला फालना स्टेशन के नाम से भरा जाकर स्वीकृत कर दिया जाता है जिसकी प्रविष्टि संख्या 879, दिनांक 25.12.2019 है तथा स्वीकृत दिनांक 06.01.2020 तहसीलदार बाली द्वारा किया गया है। जिसमें जिला कलेक्टर महोदय पाली के आदेश क्रमांक/एफ/12(3) (9) राज./12/ 2080 दिनांक 09.05.2019 की पालना मे भरा जाना अंकित किया गया है यानि की उक्त अपीलाधीन म्यूटेशन जो कि अपीलाण्ट के नाम से था जिसे नगर पालिका अप्रार्थी संख्या 02 के नाम की एंट्री कर दी जाती है जबकि ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार अप्रार्थीगण को नही रहता है क्योंकि उक्त पारित आदेश कभी भी अंतिम नहीं रहा है एवं विधि एवं तथ्यों के परे जाकर उक्त म्यूटेशन भरा गया है जिसकी स्पष्ट जानकारी अप्रार्थीगण को प्रारम्भ से ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2022
उनवान : नरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

रही है। इसी कारण केवल मात्र दस्तावेजों में ही एंट्री परिवर्तित की जाती है,मौके पर भौतिक पजेशन पूर्वानुसार ही लगातार एवं निर्बाध रुप से अपीलाण्ट का ही लगातार चला आ रहा है जिसकी भलीभांति जानकारी स्वयं अप्रार्थीगण को भी है। यह है कि प्रथमतः तो उक्त म्यूटेशन अधिकार क्षेत्र से परे विधि के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित जाकर स्वीकार किया गया है, द्वितीयतः अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में किस आधार पर भरा गया जबकि किसी भी रुप में इस तरह के मामले मे सीधे ही नगर पालिका को हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है जिस कारण से जो अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह विधि विरुद्ध होने से काबिल अपास्त किये जाने योग्य है। यह है कि डिवीजनल कमिश्नर न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 11.04.2022 को पूर्व में जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2009 को अपास्त कर दिया जाकर पुनः प्रतिप्रेषित कर दिया गया है जिससे जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अपास्त होकर खारिज हो गया है जिस कारण से उक्त नामान्तरकरण जो कि जिला कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से ही भरा गया है स्वतः ही शून्य एवं विधि विरुद्ध होने से अपास्त हो गया है जिस कारण से उक्त अपीलाधीन पारित म्यूटेशन निरस्त किया जाना लाजमी है। यह है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस निर्णय पर आधारित है उक्त निर्णय के निरस्त होने के बाद अब उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण को बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नही रहा है जब निर्णय जिस पर अपीलाधीन नामान्तरकरण आधारित है निरस्त हो गया है तो उक्त नामान्तरकरण को भी निरस्त कर दिया जाना चाहिए जो कि विधि की सुस्पष्ट स्थिति है, क्योंकि उपरोक्त प्रकरण में डिवीजनल कमिश्नर न्यायालय का निर्णय अंतिम हो चुका है जिससे विधि विरुद्ध नामान्तरकरण को बहाल रखा जाना एक विधिक त्रुटि के अलावा और कुछ नही है क्योंकि जिस आदेश से उक्त म्यूटेशन भरा गया है तथा रिकॉर्ड की पूर्व की स्थिति को बहाल करते हुए, वह जिला कलेक्टर पाली का आदेश अपास्त होकर प्रभाव में भी नहीं है। यह है कि म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है और न ही भौतिक स्थिति की जांच की गई और न ही किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही ही अमल में लायी गई है, जो म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है वह क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। मौके पर भौतिक पजेशन लगातार अपीलाण्ट का ही रहा है एवं वर्तमान में भी अपीलाण्ट का ही है, तहसीलदार जी द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना ही स्वीकृत किया गया है जो विधि विरुद्ध होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि उक्त अपीलाधीन पारित म्यूटेशन की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं रही है। विधिक रुप से उक्त म्यूटेशन जैर अपील अवैध शून्य व निष्प्रभावी है तथा एव इनिसियों वॉइड है जिसको निरस्त करने की कोई म्याद नहीं होती है फिर भी तकनीकी बाधा दूर करने हेतु म्याद का प्रार्थना मय शपथ पत्र साथ सलंग्न है।

अतः यह अपील प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे, पूर्व के रिकॉर्ड की स्थिति को बहाल करते हुए, जैर अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 879 दिनांक 25.12.2019 को प्रविष्टि की गई वह दिनांक 06.01.2020 को स्वीकृत किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 के द्वारा रेस्पोडेण्ट्स संख्या 02 के पक्ष में भरा गया जिसको सिरे से खारिज फरमाया जावे तथा शून्य व निष्प्रभावी घोषित किया जावे। एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावें।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2022

उनवान : नरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अपीलार्थी द्वारा अपील के सहवर्ती एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक अपील व स्थगन आदेश का प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. यह है कि म्यूटेशन स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है और न ही भौतिक स्थिति की जांच की गई और न ही किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही ही अमल में लायी गई है, जो म्यूटेशन स्वीकृत किया गया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पारित किया गया है। मौके पर भौतिक पजेशन लगातार प्रार्थी अपीलाण्ट का ही है, तहसीलदार द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना ही स्वीकृत किया गया है।
3. यह है कि उक्त अपीलाधीन पारित म्यूटेशन की जानकारी प्रार्थी/अपीलाण्ट को नहीं रही है। विधिक रुप से उक्त म्यूटेशन जैर अपील अवैध शून्य व निष्प्रभावी है तथा एब इनिसियों वॉइड है जिसको निरस्त करने की कोई म्याद नहीं होती है फिर भी तकनीकी बाधा दूर करने हेतु म्याद का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है।
4. यह है कि अगर प्रार्थी की उक्त अपील अन्दर म्याद शुमार नहीं की जाती है तो प्रार्थी के हक अधिकारों पर कुठाराघात लगेगा तथा प्रार्थी को न्याय से महरुम रहना पडेगा इस कारण प्रार्थी की उक्त अपील अन्दर म्याद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने का आदेश फरमावे।

पत्रावली दर्ज कर अप्रार्थीगण को ज़रिए सम्मन तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या एक बावजुद तामीली अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही प्रभाव में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या दो नगरपालिका खुडाला फालना की ओर से अधिवक्ता श्री वीरमदेवसिंह सोनीगरा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। जैर अपील प्रश्नगत नामान्तरकरण की मूल प्रति तलब की जाकर शामिल पत्रावली की एवं प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलार्थी को मुर्गीपालन हेतु आवंटित भूमि खसरा संख्या 253/1 मौजा जादरी, को जिला कलेक्टर पाली द्वारा एकतरफा निर्णय लेते हुए भूमि पुनः सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त में अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा आवंटन निरस्त करने सम्बन्धी पूर्वोक्त आदेश को अपास्त कर दिया किन्तु तहसीलदार बाली द्वारा जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण के द्वारा अपीलाधीन भूमि को नगरपालिका बाली के नाम हस्तान्तरित कर दी, जबकि उक्त भूमि पर आज भी अपीलार्थीया द्वारा कुक्कूटशाला संचालित की जा रही है। अतः आलोच्य नामान्तरकरण को अपास्त फरमावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो ने वक्त बहस उपस्थित होकर निवेदन किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत आदेशान्तर्गत ही समस्त सिवायचक भूमियाँ नगरीय निकायों को हस्तान्तरित की गई थी। अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 253/1 राजकीय खाते में दर्ज भूमि थी, जिसे विधिसम्मत ढंग से

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2022
उनवान : नरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

राज्य सरका के निर्देशानुसार ही नगरपालिका को हस्तान्तरित की गई थी, अतः विचाराधीन अपील सारहीन होने से खारिज की जाए।

सर्वप्रथम, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीपक्ष द्वारा खण्डन अथवा प्रतिकार नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तथा देरी का उपशमन करते हुए हस्तगत अपील को गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

प्रकरण के तथ्यों का संक्षिप्त विश्लेषण इस प्रकार है कि जैर अपील प्रश्नगत भूमि ग्राम जादरी खसरा संख्या 253/01 अपीलार्थी को डेयरी व पोल्ट्री फॉर्म हेतु आवंटित की जाकर दिनांक 03.10. 1977 को लीजडीड निष्पादित की गई। अपील मीमों में अंकित कथनानुसार जिला कलेक्टर पाली द्वा दिनांक 30.09.2003 (माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा पुनप्रेर्षित प्रकरण में) को आवंटन निरस्तीकरण को बहाल रखते हुए उक्त भूमि सिवायचक दर्ज करने के आदेश पारित किए। श्रीमान जिला कलेक्टर पाली द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.09.2003 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा न्यायालय श्रीमान संभागीय आयुक्त जोधपुर में अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रकरण संख्या 90/2021 को न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2022 को निर्णीत करते हुए निर्देश दिए गए कि:–

"परिणामस्वरुप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उक्त निर्णय में दिए गए ऑब्जर्वेशन के मध्यनज मौके की वस्तुस्थिति की जांच कर नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुरुप अपीलाण्ट को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण जिला कलेक्टर पाली को प्रतिप्रेषित किया जाता है।"

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा प्रदत्त उक्त निर्णय दिनांक 11.04.2022 को सरसरी अवलोकनमात्र से ही स्पष्ट हो जाता है कि किन्तु पूर्वोक्त निर्णय में श्रीमान जिला कलेक्टर पाली के आवंटन निरस्तीकरण सम्बन्धित आदेश दिनांक 30.09.2003 को अपास्त किए जाने का कहीं कोई अंकन नहीं है एवं न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा मात्र अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण को कुछ विशिष्ट निर्देशों के साथ श्रीमान जिला कलेक्टर पाली को पुनप्रेर्षित किया गया। अर्थात् आवंटन निरस्तीकरण तथा प्रश्नगत भूमि सिवायचक दर्ज करने सम्बन्धि जिला कलेक्टर पाली का आदेश दिनांक 30.09.2003 तत्समय प्रभावी था।

यह भी उल्लेखनीय है कि जैर अपील आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 879 को तहसीलदार बाली द्वारा दिनांक 06.01.2020 को स्वीकृत करने के वक्त तो भूमि सिवायचक ही दर्ज थी एवं राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त राजकीय भूमियां सम्बन्धित नगरीय निकाय को हस्तान्तरित करने के निर्देश की पालना में अपीलाधीन भूमि मौजा जादरी खसरा संख्या 253/1 नगरपालिका खुडाला फालना को आलोच्य नामान्तरकरण द्वारा हस्तान्तरित की गई। वस्तुतः अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा प्रदत जिस निर्णय 11.04.2022 का सहारा लिया गया है, उक्त निर्णय आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 879 की स्वीकृति की दिनांक 06.01.2020 तक तो पारित ही नहीं किया गया था अर्थात् अपीलार्थी द्वारा जिस नामान्तरकरण स्वीकृति आज्ञा दिनांक 06.01.2020 को हस्तगत अपील के माध्यम से चुनौति दी गई है, उक्त स्वीकृति आज्ञा के समय Cause Of Action ही उत्पन्न नहीं हुआ था।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 25/2022

उनवान : नरेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये तसीलदार बाली व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अतः उपरोक्त वजूहातों के आधार पर अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सारहीन पाए जाने से खारिज की जाती है।

यह निर्णय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा दिनांक 11.04.2022 को पुनप्रेषित प्रकरण में श्रीमान जिला कलेक्टर पाली द्वारा किए जाने वाले निर्णय के अधीन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **28.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली